

&gt;

Title: Introduction of the Indian Institutes of Information Technology Laws (Amendment) Bill, 2020 - laid

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय शामराव धोत्रे):** सभापति महोदया, मैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए तथा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (प्राइवेट-पब्लिक भागीदारी) अधिनियम, 2017 का संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**माननीय सभापति :** प्रश्न यह है :

“कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए तथा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (प्राइवेट-पब्लिक भागीदारी) अधिनियम, 2017 का संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**श्री संजय शामराव धोत्रे** : सभापति महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

**माननीय सभापति** : सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 5 मार्च, 2020 के 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

**14.11 hrs**

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, March 05 2020/Phalguna 15, 1941(Saka).*

=====

-

---

\* Treated as laid on the Table.